E-Mail

वर्ष 2012–13 हेतु आवंटन

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः–जीओ–18/डीआरडीए (प्रशा0)/लेखा/2012–13 दिनांक 26 अप्रैल–2012

विषयः जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रशासन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–डी–194/38–2–2011–2(194)डी/2011 दिनांक 11–4–2012 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा डी0आर0डी0ए0 (प्रशा0) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए प्रथम त्रैमास हेतु रू0 594.33 लाख (रू0 पांच करोड़ चौरान्वे लाख तैंतीस हजार मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 594.33 लाख (रू0 पांच करोड़ चौरान्वे लाख तैंतीस हजार मात्र) संलग्नक के कालम–3 के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :–

1– धनराशि के आहरण तथा उसके व्यय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–डी–194/38–2–2011–2(194)डी/2011 दिनांक 11–4–2012 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2– योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक मैचिंग राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण मे वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशा0) योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3– नवसृजित जनपद छत्रपतिसाहूजीमहानगर, प्रबुद्धनगर, पंचशीलनगर एवं भीमनगर को उनके मूल जनपद/जनपदों से सम्मिलित विकास खण्डों की संख्या के आधार पर आनुपातिक धनराशि तत्काल हस्तान्तरित की जाय एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

4– आवंटन में उल्लिखित शतों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी भी प्रकार का विचलन होता है तो सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना उपलब्ध करा दें।

5— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय—व्ययक अनुदान संख्या—13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम—01—समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम—800—अन्य व्यय—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—0109—जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के—75—रा—25—रा)—31—सहायता अनुदान—सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

6— आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के लेखा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7— उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या—191 पर कर ली गई है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रॉकः— जीओ—18/डीआरडीए (प्रशा0)/लेखा/2012—13 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0शासन।
4— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5— समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2/(व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2/राज्य योजना आयोग—1/2 तथा नियोजन अनुभाग—3/ ।
7— ग्राम्य विकास अनुभाग—3, उ0प्र0शासन।
8— उप सचिव ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन को उनके पत्रांक सं0—डी—194/38—2—2011—2(194)डी/2011 दिनांक 11—4—2012 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

Annexure of Letter no.:G.O. 18/DRDA/Admin/Lekha/2011-12
Dated: 26-04-2012

DRDA Administration (Rs. In lakh)

Sl. No.	Name of the District	State Share Being Released	Progressive Total
1	2	3	4
1	AGRA	10.130	10.130
2	ALIGARH	10.130	10.130
3	ALLAHABAD	10.440	10.440
4	AZAMGARH	10.440	10.440
5	BADAUN	10.440	10.440
6	BAHRAICH	10.130	10.130
7	BALIA	10.440	10.440
8	BALRAMPUR	8.880	8.880
9	BANDA	8.880	8.880
10	BARABANKI	10.130	10.130
11	BAREILLY	10.130	10.130
12	BASTI	10.130	10.130
13	BHADOHI S.R.NAGAR	8.880	8.880
14	BIJNOUR	10.130	10.130
15	BULANDSHAHAR	10.440	10.440
16	CHANDOULI	8.880	8.880
17	CHATRAPATI S.M.NAGAR CHITRAKOOT	7.170	7.170
18	DEORIA	10.440	10.440
19	ETAH	8.880	8.880
20	ETAWAH	8.880	8.880
21	FAIZABAD	10.130	10.130
22	FARRUKHABAD	8.880	8.880
23	FATEHPUR	10.130	10.130
24	FIROZABAD	8.880	8.880
25	GAUTAM BUDH NAGAR	7.170	7.170
26	GAZIPUR	10.440	10.440
27	GHAZIABAD	8.880	8.880
28	GONDA	10.440	10.440
29	GORAKHPUR	10.440	10.440
30	HAMIRPUR	8.880	8.880
31	HARDOI	10.440	10.440
32	JALAUN	8.880	8.880
33	JAUNPUR	10.440	10.440
34	JHANSI	8.880	8.880
35	KANPUR DEHAT	8.880	8.880

DRDA Administration (Rs. In lakh)

Sl. No.	Name of the District	State Share Being Released	Progressive Total
36	KANPUR NAGAR	8.880	8.880
37	KAUSHAMBI	8.880	8.880
38	KHERI (LAKHIMPUR)	10.130	10.130
39	LALITPUR	8.880	8.880
40	LUCKNOW	8.880	8.880
41	MAHARAJGANJ	10.130	10.130
42	MAHOBA	7.170	7.170
43	MAINPURI	8.880	8.880
44	MATHURA	8.880	8.880
45	MAUNTAH BHANJAN. MAU	8.880	8.880
46	MEERUT	10.130	10.130
47	MIRZAPUR	10.130	10.130
48	MORADABAD	10.130	10.130
49	MUZAFFARNAGAR	10.130	10.130
50	PADRAUNA KUSHI NAGAR	10.130	10.130
51	PILIBHIT	8.880	8.880
52	PRATAPGARH	10.440	10.440
53	RAI BARELI	10.450	10.450
54	RAMPUR	8.900	8.900
55	SAHARANPUR	10.150	10.150
56	SHAHJAHANPUR	10.150	10.150
57	SIDHARTH NAGAR	10.150	10.150
58	SITAPUR	10.460	10.460
59	SONBHADRA	8.900	8.900
60	SULTANPUR	10.460	10.460
61	UNNAO	10.460	10.460
62	VARANASI	8.900	8.900
Total >>>		594.330	594.330

(Rs.Five Crore Ninety Four lakh Thirty Three thousand Only)

(Mahesh Kumar Agnihotri)
Additional Commisioner (Accounts)
Rural Development

संख्या–194/38–2–2011–2(194)डी/2011

प्रेषक,

आर0के0 ओझा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनु0–2 लखनऊः दिनांक 11 अप्रैल, 2012

विषयः– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–365/लेखा/डी0आर0डी0ए0(प्रशासन)/2012–13 दिनांक 04 अप्रैल, 2012 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–3520/दस–2011–231/2012 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 तथा शासनादेश संख्या–बी–1–547/दस–2012–231/2012 दिनांक 20 मार्च, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए अनुदान संख्या–13 में रू0 237730000 (रूपया तेइस करोड़ सतहत्तर लाख तीस हजार मात्र) की बजट व्यवस्था हुई है।

2– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए हुई बजट व्यवस्था के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु 25 प्रतिशत की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 59433000/– (रूपया पांच करोड चौरान्नबे लाख तैतीस हजार मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–3520/दस–2011–231/2012 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 के प्रस्तर–2(11) के अनुसार वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण न किया जाय एवं उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में दिये गये अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– उक्त धनराशि के व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास को दी जायेगी।

6– अवमुक्त की जा रही धनराशि रू0 59433000/– (रूपया पांच करोड चौरान्नबे लाख तैतीस हजार मात्र) से जनपदों को प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त की जायेगी, जिससे जिलाधिकारी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा

निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा। परिव्यय कम होने की स्थिति में अतिरिक्त परिव्यय हेतु शासन को सूचित किया जायेगा।

7— केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सकें। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2013 को समर्पित कर दी जायेगी।

8— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2501—ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम—01—समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम—800—अन्य व्यय—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—0109—जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के—75/रा—25—रा) —31—सहायता अनुदान—सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

9— यह आदेश वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1—3520/दस—2011—231/2012 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 एवं शासनादेश संख्या—बी—1—547/दस—2012—231/2012 दिनांक 20 मार्च, 2012 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 ओझा)
विशेष सचिव।

संख्या—194(1)/38—2—2012 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(5) वित्त (आय—व्ययक) अनु0—2/राज्य योजना आयोग—1/2 तथा नियोजन अनु0—3
(6) ग्राम्य विकास अनु0—3
(7) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डी0पी0 सिंह)
उपसचिव।